

म.प्र. उत्कृष्टता मिशन छात्रवृत्ति पैकेज का विवरण

- छात्रवृत्ति का लाभ प्रथम वर्ष से 5 निरंतर वर्ष के लिए रहेगा
- कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययन के दौरान रु. 1000/प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय होगी।
- कक्षा 11 के विद्यार्थियों को कक्षा 12 में अध्ययन के दौरान रु. 1000/— प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय होगी।
- चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12 के उत्तीर्ण करने उपरान्त विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा में आगामी अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति 1000/— प्रतिमाह प्रदान की जायेगी।
- विद्यालय स्तर पर अध्ययन मध्य प्रदेश के शाला में निरंतर होना अनिवार्य है।
- छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को अगली वार्षिक ध्वेमिस्टर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तिर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा इस छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
- चयनित विद्यार्थी को निरंतर नियमित विध्यार्थी के रूप में अध्ययन करना होगा अध्ययन में अंतराल / ब्रेक होने पर छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- विद्यार्थियों को अंकसूची की छायाप्रति, एवं प्रीरिसीप्ट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित अंकसूची की छायाप्रति, प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त चयनित विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधित ओलम्पियाड व अन्य विज्ञान से संबंधित गतिविधियों के लिये रु. 1000/— अनुदान मूल देयकों के प्रस्तुत करने एवं पूर्व सूचना देने पर देय होगा जिसकी पुष्टि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है, एवं परिषद से अनुमति उपरांत ही मान्य होगा। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है।
- प्रत्येक चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना होगा की उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। अन्य किसी स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त होने की स्थिति में विज्ञान मंथन छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति नवीनीकरण का दायित्व विध्यार्थी के स्वयं का होगा जिसके लिए उसे वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने होंगे।
- छात्रवृत्ति हेतु पत्राचार के लिए चयनित विध्यार्थी अपनी स्कॉलशिप आईड से पत्राचार करे
- छात्रवृत्ति हेतु दूसरी PRERECEIPT तथा उसके आगे की परिषद की वैबसाइट से विध्यार्थी DOWNLOAD करके भेजे।
- छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय महानिदेशक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् का रहेगा।

नोट: छात्रवृत्ति प्रत्येक वित्तीयवर्ष में दो किस्तों में (अवधिपूर्ण होने पर) प्रदाय की जावेगी जुलाई से दिसम्बर एवं जनवरी से जून।